

CORPORATE OFFICE

8" Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector 16A, Noida - 201301, U.P.; India T: +91 120 4308100 | F: +91 120 4311010-11 W: www.trivenigroup.com

By E-filing

Date: 28 th July, 2016 Vice President,	
epartment	
National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),	
	I - 400 051.
	CODE: TRIVENI
	(

Dear Sirs.

This is to inform you that by an order made on 14th July, 2016, the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad has directed the Company that separate meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors be convened at the Company's Guest House at Sugar Unit Complex, Deoband, District Saharanpur-247554, Uttar Pradesh on Saturday, the 3rd September, 2016 at 11.00 a.m. (Equity Shareholders), 12.30 p.m. (Secured Creditors) and 2.00 p.m. (Unsecured Creditors) for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification, the proposed Scheme of Arrangement between the Company, Triveni Engineering & Industries Ltd. (Transferor Company) and Triveni Industries Ltd. (Resulting Company) and their respective shareholders and creditors under Sections 391-394 of the Companies Act, 1956 ('Scheme').

As required under Regulation 30(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we send herewith a copy each of the Notice convening the aforesaid meetings of Equity Shareholders and Secured & Unsecured Creditors published in The Statesman (English), New Delhi edition and Amar Ujala (Hindi) Meerut edition on 28th July, 2016.

You are requested to please take the above on record and disseminate to all concerned.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Triveni Engineering & Industries Ltd.,

GEETA BHALLA Group General Manager &

Group General Manager & Company Secretary

Encl: As above

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ORIGINAL COMPANY JURISDICTION IN THE MATTER OF

Under Sections 391/394 of the Companies Act, 1956 COMPANY APPLICATION No. 21 OF 2018 DISTT.: SAHARANPUR

IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT

TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED TRANSFEROR COMPANY)

TRIVENI INDUSTRIES LIMITED (RESULTING COMPANY)

FOR DIRECTIONS TO CONVENE MEETINGS UNDER SECTION 391 THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

having its registered office at HIVEN ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED

TRIVENI INDUSTRIES LIMITED Uttar Pradesh - 247564 Deoband, District Saharanpur,

Sugar Unit Dephand, District Saharanpur having its registered office at

[Resulting Company]
APPLICANT COMPANIES

NOTICE CONVENING MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED

that a meeting of the EQUITY SHREHOLDERS of the said Company be held for the purpose of Arrangement between the above hamed Applicant Companies and their respective Shareholders considering, and it thought fit, approving, with or without modification, the proposed Scheme of Notice is hereby given that by an Order made on 14th July, 2016, the Hon'ble Court has directed

will be held at the Company's Guest House at Sugar Unit Complex, Deoband, District meeting of the EQUITY SHAREHOLDERS of TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that a 11.00 A.M. at which time and place the said EQUITY SHAREHOLDERS are requested to Saharanpur- 247 554 , Uttar Fradesh, on Saturday, the 3rd day of September, 2016 at

at the office of its advocate Sri R.P. Agarwal, at T.A. Auckland Road, Allahabad - 211001. companies Act, 1956/2013 can be had free of charge at the registered office of the Company or depies of the said Scheme of Arrangement and of the Statement under section 393/230 of the

all proxies in the prescribed form are deposited at the Registered Office of the Transferor Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy, provided that company at Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247554 not later than 48 hours

rorm of proxy can be had at the registered office of the Company

as Chairman of the said meeting. The above mentioned Scheme of Arrangement, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Court The Court has appointed Sir Amit Negi, Advocate, and failing him, Sri Adarsh Bhushan, Advocate,

R.P.AGARWALI

Counsel for Applicant Companies

Chairman appointed for the Meeting

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ORIGINAL COMPANY JURISDICTION

The States man

COMPANY APPLICATION No. 21 OF 2016 IN THE MATTER OF

[Under Sections 391/394 of the Companies Act, 1956] DISTT.: SAHARANPUR

IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT BETWEEN

TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED [TRANSFEROR COMPANY]

TRIVENI INDUSTRIES LIMITED

IRESULTING COMPANY

THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED FOR DIRECTIONS TO CONVENE MEETINGS UNDER SECTION 391

Deoband, District Saharanpur, having its registered office at

Uttar Pradesh - 247554

Transferor Company)

Sugar Unit Deoband, District Saharanpur TRIVENI INDUSTRIES LIMITEO naving its registered office at

Uttar Pradesh - 247554

[Resulting Company]
APPLICANT COMPANIES

NOTICE CONVENING MEETING OF SECURED CREDITORS OF TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED

considering, and if thought fit, approving, with as without modification, the proposed Scheme of Arrangement between the above-named Applicant Companies and their respective Shareholders that a meeting of the SECURED CREDITORS of the said Company be held for the purpose of Notice is hereby given that by an Order made on 14th July, 2016, the Hon ble Court has directed

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that a 247 554, Uttar Pradesh, on Saturday, the 3rd day of September, 2016 at 12:30 P.M. at which be held at the Company's Guest House at Sugar Unit Complex, Dechand, District Saharanpurtime and place the said SECURED CREDITORS are requested to attend. meeting of the SECURED CREDITORS of TRIVENLENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED wi

Copies of the said Scheme of Arrangement and of the Statement under section 393/230 of the at the office of its advocate Sri R.P. Agarwal, at 1.4- Auckland Road, Allahabad - 2.11001. Companies Act, 1956/2013 can be had free of charge at the registered office of the Company or

all proxies in the prescribed form are deposited at the Registered Office of the Transferor before the meeting. Company at Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh - 247554 not later than 48 hour Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy, provided that

Form of proxy can be had at the registered office of the Company.

approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Court. Advocate, as Chairman of the said meeting. The above mentioned Scheme of Arrangement, if The Court has appointed Sri B.K. Pandey, Advocate, and failing him, Sri Manu Ghildiyal

Dated this 26th day of July, 2016

AMIT NEGI Advocate Advocate [R.P.AGARWAL

Counsel for Applicant Companies

Chairman appointed for the Meeting

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ORIGINAL COMPANY JURISDICTION IN THE MATTER OF

ä

Under Sections 391/394 of the Companies Act, 1956 COMPANY APPLICATION No. 21 OF 2016 DISTT.: SAHARANPUR

IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED BETWEEN

[TRANSFEROR COMPANY]

TRIVENI INDUSTRIES LIMITED [RESULTING COMPANY]

HEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

FOR DIRECTIONS TO CONVENE MEETINGS UNDER SECTION 391

having its registered office at TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED

Deoband, District Saharanpur,

Ultar Pradesh - 24/554

Transferor Company)

Transferor Company

TRIVENI INDUSTRIES LIMITED having its registered office at Sugar Unit Deoband, District Saharanpur,

Uttar Pradesh - 247554

APPLICANT COMPANIES [Resulting Company]

NOTICE CONVENING MEETING OF UNSECURED CREDITORS OF TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED

Arrangement between the above named Applicant Companies and their respective Shareholders considering, and it shought fit, approving, with or without modification, the proposed Scheme of that a meeting of the UNSECURED CREDITORS of the said Company be held for the purpose of Notice is hereby given that by an Order made on 14th July, 2016, the Hor/ble Court has directed

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that a at the office of its advocate Sri R.P. Agarwal, at f.A. Auckland Road, Allahabad - 21 1001. Companies Act, 1956/2013 can be had free of charge at the registered office of the Company of Copies of the said Scheme of Arrangement and of the Statement under section 393/230 of the 2.00 P.M. at which time and place the said UNSECURED CREDITURS are requested to attend Saharanpur- 247 554, Uttar Pradesh, on Saturday, the 3rd day of September, 2016 at will be held at the Company's Guest House at Sugar Unit Complex, Dechand, District meeting of the UNSECURED CREDITORS of TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

all proxies in the prescribed form are deposited at the Registered Office of the Transferor Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy, provided that Company at Decband, District Saharanpur, Uttar Pradesh – 247554 not later than 48 hours

Form of proxy can be had at the registered of fice of the Company.

approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Court. Advocate, as Chairman of the said meeting. The above mentioned Scheme of Arrangement, it The Court has appointed Dr. Y.K. Srivastava, Advocate, and failing him, Sri Bipin Behari Pandey,

Dated this 26th day of July, 2016

Counsel for Applicant Companies

B.K. PANDEY Advocate

[Y.K. SRIVASTAVA] Advocate

Chairman appointed for the Meeting

इलाहाबाद स्थित न्यायाधिकरण के मूल न्यायाधिकार क्षेत्र 8 न्यायालय में

(कंपनीप्त अधिनियम 1956 की धारा 391 / 394 के अंतर्गत) फंपनी वाचिका संख्या 2016 की क्रमांक 21 के मामले में कंपनीज अधिनियम, 1956 के मानले में

व्यवस्था की पोजना के नामले मे जिलाः सहरसम्प

त्रिवेणी इंजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इस्टातस्मकता कपनी) 싎

त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिणामी कंपनी

धारा 391 के अंत्रीगत बैठक आयोजित करने के दिशा निर्देश हेतु उनके तत्राम्बंधी अंशधारक और ऋणदात

हस्तातरणकता क्षनी

1. त्रिवेणी इजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेस जिसका पंजी. कार्याः देवबन्द, जिला सहारनपुर

2. त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड **उत्तर प्रदेश -- 247554** जिसका पंजी. कार्योः शुभर यूनिट, देवबन्द, जिला सहारनपुर

परिणानी कंपनी आवेदक कंपनिया

त्रियेणी इंजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इकिपटी अंशघारको की बैठक आयोजित करने की सूचना

संशोधन के साथ या उसके बिना, अनुमोदित किया जाए। वाली व्यवस्था की प्रस्तावित योजना पर विचार किया जाए और यदि उचित समझा जाए तो इसे डपरोक्ता नामित आवेदक कंपनीयाँ और उनके तत्सम्बंधी अंशधारको और ऋणदाताओं के नध्य होने एतपुद्वारा सूचित किया जाता है कि 14 जुलाई 2016 को दिये गर्वे आयेश द्वारा माननीय त्वायालय ने निर्देश दिया है कि चक्त कंपनी के इ**विषटी अंशवारकों की** एक बैठक आयोजित की जाए जिसमें

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें निर्देश दिया गया है, एतदहारा यह भी सुचित क १ए-आकर्तण्ड रोड, इलाहाबाद 211001 स्थित कार्यालय से निशुक्क प्रान्त की जा सकती है। यसाब्य की प्रतिलिपियां कंपनी के पंजीकृत कार्यांत्र्य अथवा इसके एडवोकेट श्री आर. पी. अग्रवाल व्यवस्था की उस्त योजना और कंपनीज अधिनियम, 1956/2013 की धारा 393/230 के अंतिगत उत्तर प्रदेश. के परिक्षर में शनिवार, 3 मितंबर 2016 को प्रात 11:00 बड़ो आयोजित होगी बैठक कंपनी गेस्ट हाउस, शुगर यूनिट कॉम्मलेक्स, देवबन्द, जिला सहारनपुर 247554 मतदान कर सकते हैं बहातें सभी प्रतिनिधि प्रपन्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय देवबन्द, जिला बैठक में साग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति रहेंग या प्राक्ती (प्रतिनिधि) द्वारा जिस समय और स्थान पर इक्षिटी असधारको से बेटक में भाग लेन का अनुरोध किया जाता है। किया जाता है कि त्रियणो इजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटड के इतिसदी अश्वधारकों को एक

प्राक्सी (प्रतिनिधि) प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यांत्म्य से प्राप्त किए जा सकते हैं। न्यायालय ने औं अमित नेनी, एडबॉकेंट को उपरोचन बैठक का अध्यक्ष और श्री आदर्श भूषण, एडवोकेंट को वैकल्पिक अध्यक्ष निपुत्त किया है। जपरीक्त व्यवस्था की योजना, बैठक द्वारा अंतुमीदेत होने के उपरांत न्यायालय की आगामी स्वीकृति के अजीन होगी

करा दिए गर्वे हो |

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश -247554, में बैठक के निवारित समय से कम से कम 48 घण्टे पहले जमा

करा दिए गर्न हो।

दनाकः २६, जुलाई, २०१६

आर पी अग्रवाल)

आवेदक कंपनीयों के वकील

बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष (अस्ति नेगी) (अस्ति नेगी) एउद्योकट

> इलाहाबाद स्थित न्यायाधिकरण के द्ध न्यायालय

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में मूल न्यायाधिकार क्षेत्र

(कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 391 / 394 के अंतर्गत) कंपनी वाचिका संख्या 2016 की ऋगांक 21 के धामले में ज्ञाः सहारनपुर

व्यवस्था की योजना के मामले में 13H

विवेगी इजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इस्तात्ररणकर्ता कंपनी) ব্ৰ

त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिणामी कंपनी

धारा 391 के अर्तगत बैतक आयोजित करने के दिशा निर्देश हेतु उनके तत्सम्बंधी अशद्यारक और ऋणदाता

 त्रिवेणी इंजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका पंजी. कार्याः देवबन्द, जिला अहारनपुर

2. त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड उत्तर प्रदेश - 247554

> हस्तातरणकर्ता diq-

जिसका पंजी. कार्याः शुगर यूनिट, देवबन्द, जिला सहारनपुर **उत्तर प्रदेश -247554**

,आवेदक क्यानेया

एतदृद्धारा सूचित किया जाता है कि 14 जुलाई 2016 को दिये गर्वे आदेश द्वारा माननीय न्यायालय ने नितेणी इजिनियसिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक आयोजित करने की सुचना

उपरोक्त चांगित आवेदक कंपनीयाँ और उनके तत्सम्बंधी अंशशास्त्रो और ऋणदाताओं के मध्य होने वाली व्यवस्था की प्रस्ताधित योजना पर विचार किया जाए और वंदि उवित समझा जाए तो इसे, संशोधन के साथ या उसके बिना, अनुमोदित किया जाए। निर्देश दिया है कि उवत कपनी के सुरक्षित ऋणदाताओं की एक बैठक आयोजित की जाए जिसमे

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश -247554, में बैठक के निवारित सनय से कम से कम 48 घरटे पहले जम के 1ए-ऑकलेण्ड रोड, इलाहाबाद 211001 स्थित कार्योलय से निशुल्क प्राप्त की जा सकती है। वक्ताव्य की प्रतिनिधिया कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा इसके एडवोकेट श्री आर. पी. अग्रवाल समय और स्थान पर सुरक्षित ऋणदाताओं से बैठक में भाग होने का अनुरोध किया जाता है। प्रदेश, के परिसर में शनिवार, 3 सितंबर 2016 की दोष्टर 12:30 बजे आयोजित होगी, जिस डपरोब्ल आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें निर्देश दिया गया है, एतदद्वारा यह भी सूडित किया जाता है कि त्रिवेभी इंजिनियरिंग एण्ड इंड्स्ट्रीज क्रिमिटेड के सुरक्षित ऋणवाताओं की एक मतदान कर सकते हैं बशते सभी प्रतिनिधि प्रयत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय देवबन्द, व्यवस्था की उक्त योजना और कंपनीज अधिनियम, 1956/2013 की धारा 393/230 के अंतंगत बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति स्वयं या प्राक्ती (प्रतिनिधि) द्वारा बैटक कंपनी गेस्ट हाउस, शुगर यूगिट कॉम्पलेक्स, देवबन्द, जिला सहारनपुर 247554, उत्तर

प्राक्सी (प्रतिनिधि) प्रपन्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्रान्त किए जा सकते हैं। न्यायालय ने भी बी.के. पांडेय, एडवीकेंट को ज्यारीकत बैठक का अध्यक्ष और भी मनु वितिखयाल. एडवोकेट को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। जपरोक्त व्यवस्था की योजना, अनुमोदित होने के उपरांत न्यायालय की आगामी स्वीकृति के अधीन होगी बैटक द्वारा

दिनाकः 26. जुलाई, 2016

आदेदक कंपनीयों के देकील आर पा अग्रदाल)

बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष हस्ता. (बी.कं. पांडेय) एडवोकेट

> इलाहाबाद स्थित न्यायाधिकरण के S न्यायालय

कंपनीज अधिनियम्, 1956 के गामले में मूल न्यायाधिकार क्षेत्र

(कंपनीज अधिनियम 1956 की बारा 391/394 के अंतर्गत) कंपनी वाचिका संख्या 2016 की क्रनांक 21 के मामले में व्यवस्था की योजना के मामले में जलाः सहरतमुर

त्रिवेणी इंजिनियारेंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इस्तातस्थाकता कपनी G

3

निवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिणामी कंपन

धारा 391 के अंतगत बैठक आयोजित करने के दिशा निर्देश हेतु <u>जनके तत्सम्बंधी अश्राधारक और ऋणदाता</u>

1. जितेणी इंजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड उत्तर प्रदेश -247554 जिसका पंजी, कायो, देवकन्द्र, जिला सहरिनपुर

हस्तातस्थकता कंपनी

ट्र त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका पंजी. कार्या: शुगळ यूनिट, देवबन्द, जिला सहारनपुर.

उत्तर प्रदेश -247554

,आबंदक कपन्य परिणामी कपनी

त्रिवेणी इजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक आयोजित करने की सूचना

मध्य होने वाली व्यवस्था की प्रस्तावित योजना पर विचार किया जाए और यदि खेंचत समझा जाए एतद्रद्वारा सुवित किया जाता है कि 14 जुलाई 2016 को दिये गर्ये आदेश हारा माननीय न्यायालय ने जिसमें उपरोक्त नामित आवेदक कंपनीयाँ और छनके तत्सम्बंधी अश्वाधरको और ऋणदाताओं के निर्देश दिया है कि उक्त कंपनी के असुरक्षित ऋगदाताओं की एक बैठक आयोजित की जाए

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें निर्देश दिया गया है, एतद्वारा यह भी सूरित किया जाता है कि निर्देशी इंजिनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिनिटेड के असुरक्षित ऋणदाताओं की एक बैदक कंपनी नेस्ट हाजुस, शुगर युनिट कॉम्पलेक्स, देवबन्द, जिला सहारगपुर 247554, उत्तर और स्थान पर असुरक्षित ऋणदाताओं से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। तो इसे, संशोधन के साथ या उसके बिना अनुमोदित किया जाएं। प्रदेश, के परिसर में अनिवार, 3 सितंबर 2016 को दोपहर 2:00 बजे आयोजित होगी, जिस समय

के 1ए-ऑकलेण्ड रोड, इलाहाबाद 211001 स्थित कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। करा दिए गये हो । सहारनपुर, उत्तर प्रदेश -247554, में बैठक के निधारित समय से कम से कम 48 घण्टे पहले जम मतदान कर फकते हैं बंशत सभी प्रतिनिधि प्रयत्न कंपनी के पंजीकृत कायोलय देवबन्द, जिला बैठक में भाग लेने और महदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति स्वंय या प्राक्ती (प्रतिनिधि) द्वारा प्राक्सी (प्रतिनिधि) प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

वक्तत्य की प्रतिलिपियां कंपनी के पजीकृत कार्यालय अथवा इसके एडवोकेट औं आर. पी. अग्रवाल व्यवस्था की उक्त योजना और कंपनीज अधिनियम, 1956/2013 की शारा 393/230 के अंतिगत

दिनाकः 26, जुलाई, 2016 अनुमोदित होने के उपरांत न्यायालय की आपानी स्वीकृति के अधीन होगी

षांडेय, एडवोकेट को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त व्यवस्था की योजना, बैठक द्वार न्यायालय ने वाई, के. श्रीवास्तव, एडवोक्टेंट को उपरोक्त बैठक का अध्यक्ष और श्री विविन विहारी

(आर पी अग्रवात)

आदेदक कंपनीयों के बकील

वैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष हस्ताः (वाई. के. श्रीवास्तव) एडवोकेट

Topusuies ! $\nabla \gamma \xi$ Ĉ,